अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित सत्वों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के संबंध में संव्यवहारों की जांच से संबंधित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, सक्षम प्राधिकारणों द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, उपयुक्तता, विवेक और प्रभावकारिता को भी निर्धारित किया जा सके।

लेखापरीक्षाएं अनुमोदित लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की तरफ से की जाती हैं। इन मानकों में वे प्रतिमान निर्धारित किए गए है जिनका लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा पालन करना अपेक्षित है और अननुपालन के पृथक मामलों के साथ-साथ उन कमजोरियों जो लेखापरीक्षित सत्वों के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद है की रिपोर्टिंग देना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों/ अभ्युक्तियों से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कार्यकारियों को सक्षम बनाने, नीतियों और प्रक्रियाओं के निर्धारण की अपेक्षा भी की जाती है जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा और जो बेहतर शासन को बढ़ावा देगा।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा की व्याख्या के अलावा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों, जो कि **अनुलग्नक-I** में सूचीबद्ध किए गए हैं के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों और उनके स्वायत्त निकायों जो कि **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध किए गए हैं की अनुपालन लेखापरीक्षा से निकले निष्कर्ष/ अभ्युक्तियां अध्याय II से VIII में दी गई है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को रिपोर्टिंग का प्राधिकार क्रमश: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा[1] 13 और धारा[2] 17 के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करते है।

संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों वाले निकायों को अधिनियम की धारा[3] 19(2) के अंतर्गत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा हेतु लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा[4] 20(1) के अंतर्गत लोकहित में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इसके अलावा, भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा[5] 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन

अनुपालन लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लागू किए गए लेखापरीक्षण मानकों में प्रतिपादित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से मंत्रालय/ विभाग तथा प्रत्येक इकाई के किए गए व्यय, इसके कार्यकलापों के महत्व/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर और आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन

---

1 ***(i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी संव्यवहार और (iii) सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।***

2 ***संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे स्टोर और स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट।***

3 ***संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित निगमों (कंपनियां नहीं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन और प्रयोग उसके द्वारा संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।***

4 ***जहां किसी निकाय या प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत सीएजी को नहीं सौंपी गई है, यदि वह राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ क्षेत्र के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा***

5 ***जहां किसी निकाय या प्राधिकरण को भारत की समेकित निधि या किसी राज्य या विधान सभा वाले किसी भी संघ क्षेत्र से अनुदान या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, तो सीएजी उस समय निकाय या प्राधिकरण को लागू होने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन जैसा भी मामला हो, उस निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करेगा और उसके द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय पर रिपोर्ट करेगा।***

तथा पणधारकों के मुद्दों के आधार पर जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कार्य में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृति और सीमा का निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात, ऐसे जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है। चयनित/ नियोजित इकाईयों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्दिष्ट करने वाली निरीक्षण रिपोर्ट इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते है तब लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण रिपोर्टों की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट पैरा के रूप में अलग से जारी किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलन हेतु संसाधित किया जाता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 बजट और व्यय

आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/ विभागों (जहां लागू है) के संबंध में 2019-20 की रिपोर्टिंग अवधि और इसके पिछले वर्ष के दौरान बजट तथा व्यय[6] की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/ विभागों का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
	2019-2020				2018-2019			
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1,66,616.66	1,52,161.35	14,455.31	8.68%	1,59,582.53	1,42,488.04	17,094.49	10.71%

[6] *संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे*

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
वित्त मंत्रालय								
वित्तीय सेवाएं विभाग	83,884.03	83,233.52	650.51	0.78%	1,17,097.21	1,16,088.58	1,008.63	0.86%
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	132.08	105.1	26.98	20.43%	146.15	145.15	1.00	0.68%
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	45,501.86	42,812.23	2,689.63	5.91%	34,422.95	32,620.99	1,801.96	5.23%
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	55,146.07	42,353.64	12,792.43	23.20%	50,254.47	40,874.26	9,380.21	18.67%
विद्युत मंत्रालय	22,900.29	21,135.10	1,765.19	7.71%	20,233.67	19,850.10	383.57	1.90%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय								
वाणिज्य विभाग	6,998.78	6,944.44	54.34	0.78%	6,215.32	6,159.52	55.80	0.74%
उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का विभाग	6,510.54	6,423.29	87.25	1.34%	6,156.61	6,020.57	136.04	2.21%
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	7,011.31	6,717.54	293.77	4.19%	6,561.17	6,513.12	48.05	0.73%
वस्त्र मंत्रालय	4,857.33	4,455.19	402.14	8.28%	8,660.82	6,695.47	1,965.35	22.69%
नागर विमानन मंत्रालय	4,500.02	3,646.82	853.20	18.96%	10,680.98	9,600.19	1,080.79	10.12%
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2,653.67	2,193.46	460.21	17.34%	2,729.75	2,321.63	408.12	14.95%

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
खान मंत्रालय	1,825.55	1,466.68	358.87	19.66%	2,164.54	1,397.10	767.44	35.46%
पर्यटन मंत्रालय	2,189.24	1,399.21	790.03	36.09%	2,150.03	2,102.52	47.51	2.21%
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय								
भारी उद्योग विभाग	1,367.01	1,306.19	60.82	4.45%	1,286.66	1,035.02	251.64	19.56%
सार्वजनिक उद्यम विभाग	22.64	21.09	1.55	6.85%	21.44	21.20	0.24	1.12%
कोयला मंत्रालय	1,159.06	823.00	336.06	28.99%	781.85	708.34	73.51	9.40%
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	639.84	582.11	57.73	9.02%	643.98	610.41	33.57	5.21%
रसायन और उर्वरक मंत्रालय								
रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग	370.18	365.12	5.06	1.37%	399.65	339.86	59.79	14.96%
इस्पात मंत्रालय	241.29	194.33	46.96	19.46%	154.90	154.64	0.26	0.17%
कुल	**4,14,527.45**	**3,78,339.41**	**36,188.04**	**8.73%**	**4,30,334.68**	**3,95,746.71**	**34,587.97**	**8.04%**

2019-20 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय ₹3,78,339.41 करोड़ था, जबकि 2018-19 में ₹3,95,746.71 करोड़ था, अर्थात ₹17,407.30 करोड़ (4.40 *प्रतिशत*) की कमी हुई। 2019-20 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹3,78,339.41 करोड़ के कुल व्यय में से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 40.22 *प्रतिशत* और उसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमशः 22.00 *प्रतिशत* और 11.32 *प्रतिशत*) द्वारा किया गया था।

उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों के वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक व्यय की भिन्नता की समीक्षा से पता चला है कि पिछले वर्ष यानी 2018-19 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के व्यय में अधिकतम वृद्धि (31.24 *प्रतिशत*) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में न्यूनतम वृद्धि (3.14 *प्रतिशत*) थी। इसी तरह, नागर विमानन मंत्रालय में पिछले वर्ष

यानी 2018-19 की तुलना में अधिकतम कमी (62.01 *प्रतिशत*)[7] और सार्वजनिक उद्यम विभाग के व्यय में न्यूनतम कमी (0.52 *प्रतिशत*) थी।।

पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान भारी उद्योग विभाग, इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और वाणिज्य विभाग वास्तविक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करने वाले मंत्रालय/विभाग थे। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग में वास्तविक व्यय में उल्लेखनीय कमी[8] देखी गई।

2019-20 के दौरान ₹4,14,527.45 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के संदर्भ में, मंत्रालयों/विभागों के पास ₹36,188.04 करोड़ का कुल अव्ययित बजट था जो कि कुल अनुदान/विनियोजन का 8.73 *प्रतिशत* था, जबकि जो 2018-19 के दौरान अव्ययित बजट 8.04 *प्रतिशत* था।

1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/ संगठनों को जारी किए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकायो/ संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीने के अन्दर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। 4,865 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसीज़) की मंत्रालय/ विभाग-वार स्थिति (मार्च 2020 के अनुसार) का विवरण **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है जिसमें 15 मंत्रालयों/ विभागों द्वारा मार्च 2019 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹18,181.39 करोड़ की राशि शामिल है। जो अनुदान जारी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बकाया थे ₹18,181.39 करोड़ वाले इन 4,865 यूसीज़ के संबंध में कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका कि यह राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/ अधिकृत किया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का भारी मात्रा में विलम्बन निधियो के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की काल-वार स्थिति नीचे तालिका 1.2 में संक्षेपित है:

---

[7] ***व्यय में उच्च कमी मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत बजट (2019-20) में कमी के कारण हुई जैसे कि एयर इंडिया लिमिटेड की टर्नअराउंड योजना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय।***

[8] ***व्यय/बजट प्रावधान (2019-20) को मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में कम किया गया था जैसे कि संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, कपड़ा अवसंरचना, पर्यटन अवसंरचना और वित्तीय संस्थानों को सहायता।***

तालिका 1.2: बकाया यूसीज़ की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में देरी की सीमा	31 मार्च 2020 को बकाया यूसीज़	
	संख्या	राशि
0-1	1,490	7,421.99
1-5	2,516	10,291.18
5 से अधिक	859	468.22
जोड़	**4,865**	**18,181.39**

बकाया यूसीज़ मुख्य रूप से छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित हैं। ये कुल बकाया यूसीज़ का 89.19 *प्रतिशत* है जिसका मूल्य कुल बकाया राशि का 95.93 *प्रतिशत* है। मार्च 2020 तक छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य के साथ बकाया यूसीज़ की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2020 को बकाया यूसीज़

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	मार्च 2019[9] तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,594	12,666.14
2.	वित्तीय सेवाएं विभाग	39	3,067.63
3.	वस्त्र मंत्रालय	2,582	796.35
4.	भारी उद्योग विभाग	54	396.51
5.	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग	22	292.09
6.	पर्यटन मंत्रालय	48	223.23
	जोड़	**4,339**	**17,441.95**

1.6 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे गए पेपर्स पर समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (1975-76) में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखांकन वर्ष (वित्तीय वर्ष) समाप्त होने के बाद तीन महीने के अन्दर अपने लेखाओं को अंतिम रूप देना/ तैयार करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित किया गया है।

[9] *मार्च 2019 तक जारी किए गए अनुदानों के लिए*

नीचे दी गई तालिका 1.4 में सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2018-19 के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब को दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: लेखाओं के प्रस्तुत करने में विलम्ब

	देरी की अवधि			
	1 महीने तक	**1-3 महीने**	**3-6 महीने**	**6 महीने से अधिक**
सीएबीज़ की संख्या	8	8	7	4

सीएबीज़ के विवरण जिनके लेखे मार्च 2021 तक विलंबित थे, उन्हें **अनुलग्नक-IV** में दर्शाया गया है।

1.7 संसद के समक्ष सीएबीज़ के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में देरी

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एबीज़ के लेखापरीक्षित लेखाओं को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीनों के भीतर अर्थात अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष रखा जाएगा।

मार्च 2021 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति तालिका 1.5 में दी गई है:

तालिका 1.5: संसद के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की स्थिति

लेखा वर्ष	**सीएबीज़ की संख्या जिसके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गए थे, परन्तु संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए**
2013-14 से 2016-17	1
2017-18	3
2018-19	4
लेखा वर्ष	**सीएबीज़ की संख्या जिनके लिए नियत तारीख के बाद लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किए थे**
2018-19	14

उन सीएबीज़ जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा देय तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए के विवरण क्रमश: **अनुलग्नक-V** और **अनुलग्नक-VI** में दिए गए हैं।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अधीन लेखापरीक्षित सीएबीज़ के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उन प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ सलंग्न किये जाते हैं, जो संसद के पटल पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा रखे जाते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए सीएबी के वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए सीएबीज़ के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं:

क) 16 सीएबीज़ में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी **(अनुलग्नक-VIII)**;

ख) 16 सीएबीज़ में स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था **(अनुलग्नक-IX)**;

ग) 13 सीएबीज़ में मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था **(अनुलग्नक-X)**;

घ) 12 सीएबीज़ में प्राप्ति/ नकद आधार पर अनुदानों के लिए लेखांकन वित्त मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित लेखा के समान प्रारूप के साथ असंगत पाया गया **(अनुलग्नक-XI)**;

ड़) 16 सीएबीज़ में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन नहीं किया गया था **(अनुलग्नक-XII)**; और

च) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप चार सीएबीज़ के लेखाओं को संशोधित किया गया **(अनुलग्नक-XIII)**।

छ) हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 के दौरान अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया

1.9 लंबित एटीएनस की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 105वीं रिपोर्ट (दसवीं लोकसभा - 1995-96), जो 17 अगस्त 1995 को संसद में प्रस्तुत की गयी थी, में सिफारिश की थी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएनस), 31 मार्च 1996 के बाद वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके बाद, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी कक्ष बनाया गया जिसे सभी मंत्रालयों/ विभागों से उन एटीएनस के समन्वय और संग्रहण का काम सौंपा गया है जो संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हैं और उन्हें संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पीएसी को भेजा जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय) में शामिल पैराग्राफों पर एटीएनस की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 39 एटीएनस बकाया थे परंतु केवल 30 प्राप्त हुए थे जिनमें से चार को अंतिम रूप दिया गया था जबकि शेष संबंधित मंत्रालयों/ विभागों (सितंबर 2021) के साथ पत्राचार के विभिन्न चरणों के तहत थे। बकाया एटीएनस का विवरण **अनुलग्नक-XIV** में दर्शाया गया है।

1.10 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की सिफारिशों पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि वे सीएजी के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजें। ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए निहित समय के भीतर अपना उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। इस प्रतिवेदन में 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। आठ पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है (सितंबर 2021)।